

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (406) / 5A / अकाद / निकाशि / 2011-12 / 383

दिनांक: 31/5/2012

प्राचार्य

समस्त राजकीय महाविद्यालय / कन्या महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :- सत्र 2011-12 में बढ़ाये गये अतिरिक्त आवंटन वर्गों के संबध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक एफ 4 (406) / 5A / अकाद / निकाशि / 2011-12 / 60-144 दिनांक 11.7.2011, 145-226 दिनांक 14.7.2011, 227 दिनांक 14.7.2011, 234 दिनांक 14.7.2011, 242-243 दिनांक 18.7.2011 253 दिनांक 26.7.2011, 930 दिनांक 6.9.2011 एवं 267 दिनांक 8.9.2011 के द्वारा सत्र 2011-12 में जारी आदेश प्रतियो में इस निर्देश के साथ यह अतिरिक्त वर्ग केवल सत्र 2011-12 के लिए स्वीकृत थे।

अतः समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2011-12 में अतिरिक्त खोले गये वर्गों को केवल सत्र 2011-12 के लिए माना जावे तथा बढ़ाये गये वर्ग सत्र 2012-13 के लिए यह मान्य नहीं रहेंगे।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

दिनांक: 31/5/2012

क्रमांक: एफ 4 (415)आयो. / निकाशि / 2011-12 / 383-84

✓ प्रतिलिपि :- श्री धीरेन्द्र देवर्षि , व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट को भेजकर लेख है कि परिपत्र अपलोड कराने का श्रम करें ।

संयुक्त निदेशक